भारत के प्रीमियर शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण

वे विद्यार्थी जिन्हें भारत के प्रीमियर संस्थानों जैसे आईआईटी , इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में दाखिला मिल गया है और वे विद्यार्थी भी जो ऐसे संस्थानों में पढ़ रहे हैं अब अधिमान्य दरों पर आईडीबीआई बैंक के प्रीमियर शिक्षा ऋण का लाभ उठा सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए पढ़ें.

वे पाठ्यक्रमों जिनके लिए ऋण लिया जा सकता है:

देश की प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रस्तावित पूर्णकालिक व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम.

ऋण की राशि :

अधिकतम 30 लाख रुपये तक ऋण राशि.

सह-आवेदक :

सह-आवेदक अनिवार्य है, चाहे ऋण राशि जो भी हो.

प्रतिभूति :

ऋण राशि पर विचार किए बिना प्रत्येक मामले में सह-आवेदक अनिवार्य है.

i. रु. **20** लाख तक : कोई प्रतिभूति नहीं **,** बशर्ते ऋण आवेदक अपने माता-पिता जो संयुक्त उधारकर्ता हैं की संतोषजनक मालियत/ साधनों की जानकारी दे.

ii. रु. 20 लाख से अधिक : भूमि/बिल्डिंग के रूप में गोचर संपार्श्विक प्रतिभूति(न्यूनतम मूल्य स्वीकृत ऋण राशि का 1.33 गुना होना चाहिए) **,**एलआईसी**,**मीयादी जमा**,**आदि (न्यूनतम मूल्य स्वीकृत ऋण राशि का कम से कम 1.1 गुना हो ना चाहिए)**.** संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रस्तावित भूमि**,** कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए.

प्रोसेसिंग शुल्क :

- कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा.

पूर्व भुगतान प्रभार :

- पूर्व भुगतान प्रभार लागू नहीं है.

गैर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण के अन्य सभी वर्तमान मानदंड भी इस योजना के लिए लागू होंगे.